राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प. 8(2) राज/वाद/2019/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 06/11/24

समस्त लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/
विशिष्ट लोक अभियोजक, राजस्थान।

–: परिपत्र :–

प्रायः यह देखने में आया है कि दांडिक न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि/दोषमुक्ति के निर्णयों/आदेशों को अद्यतन (Update) नहीं किया जाता है, जिसके कारण अपराधी के आपराधिक इतिहास (Criminal antecedents) की नवीनतम सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में आगामी दांडिक प्रकरणों में न्यायालय में समुचित स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दांडिक न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि/दोषमुक्ति के निर्णयों/आदेशों की सूचना जरिये ई–मेल सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को अविलम्ब आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।

06/11/24

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि